(2)

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 189/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

युग्रो केपिटल, पंजीकृत कार्यालय– एक्यूनोक्स, बिजनिस पार्क, टॉवर–3, चतुर्थ तल, आफिस बीकेसी, एलबीएस रोड़, कुर्ला मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी,
   पताः– प्लॉट नं. 37–38, वैष्णो देवी नगर, लक्ष्मीनारायणपुरा, जयपुर।
2. श्री घनश्याम चांडक,
3. श्रीमती प्रियंका चांडक,
   पताः– प्लॉट नं. जे–1, अजमेर रोड़, सुखी जीवन कॉम्पलेक्स, अजमेर रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :–

1. श्री प्रेरित गोयल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक 23.05.2024**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु दिनांक 27.06.2022 को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामित्त्व की चल संपत्ति** REVORIA PC 1120, FUJIFILM REVORIA PRESS PC 1120 WITHSTANDARD ACCESSORIES MAKE INSIGHT PRINT COMMUNICATION PVT LTD INVOICE NUMBER MSG/22-23/11446 को हाईपोथिकेट/बन्धक रख कर कुल राशि 01,40,71,710/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 14.02.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 01,40,71,710/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

01,16,80,638/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 14.02.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामित्त्व की हाईपोथिकेटेड/बंधक चल संपत्ति** REVORIA PC 1120, FUJIFILM REVORIA PRESS PC 1120 WITHSTANDARD ACCESSORIES MAKE INSIGHT PRINT COMMUNICATION PVT LTD INVOICE NUMBER MSG/22-23/11446 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 23.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

यूग्रो कैपीटल बनाम राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी

प्रकरण संख्या 189 /2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
28.11.2024	प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली तलब की जाकर आज पेश हुई। प्रार्थी वित्तीय संस्थान के अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता का कथन है कि दिनांक 23.05.2024 को न्यायालय हाजा के पारित आदेश अनुसार राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी के स्वामित्व की हाईपोथिकेटड चल सम्पत्ति REVORIA PC 1120 FUJIFILM REVORIA PRESS PC 1120 WITHSTANDARD ACCESSORIES MAKE INSIGHT PRINT COMMUNICATION PVT LTD INVOICE NUMBER MSG/22-23/11446 का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के आदेश की पालना में स्थानीय पुलिस असफल रही है। अतः हाईपोथिकेटड चल सम्पत्ति सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को रिसीवर नियुक्ति किये जाने के आदेश फरमावे। प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस न्यायालय हाजा की पत्रावली संख्या 189/2024 ब उनवानी यूग्रो कैपीटल बनाम राजेश्वरी ट्रेडिंग कम्पनी (किस्म धारा 14 सरफेशी एक्ट) में पारित आदेश दिनांक 23.05.2024 में अंकित उक्त हाईपोथिकेटड चल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा पुलिस सहयोग से प्रार्थी वित्तिय संस्था को दिलाये जाने के लिए तहसीलदार जयपुर को रिसीवर नियुक्त किया जाता है। यह आदेश पूर्व आदेश दिनांक 23.05.2024 का जुज भाग रहेगा। शेष आदेश यथावत रहेगा। (डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner